बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना।

सहायक अभियन्ता के पदों पर नियुक्ति हेतु
पुनर्विज्ञापन

विज्ञापन संख्या 02/2017, सहायक अभियन्ता (असैनिक), विज्ञापन संख्या 03/2017, सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) एवं विज्ञापन संख्या 04/2017, सहायक अभियन्ता (असैनिक)

CWJC No 5799/2017 Kumud Ranjan Prabhat and others vs The state and others में पारित न्यायादेश के आलोक में पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 02/2017, सहायक अभियन्ता (असैनिक), विज्ञापन संख्या 03/2017, सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) एवं विज्ञापन संख्या 04/2017, सहायक अभियन्ता (असैनिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु पूर्व में न्यूनतम उम्र सीमा के लिए निर्धारित कट ऑफ तिथि 01.08.2016 को संशोधित कर दिनांक 01.08.2017 निर्धारित की जाती है। उक्त तीनों विज्ञापनों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 06.12.2017 के अपराह्न 5.00 बजे तक निर्धारित की जाती है। चूँकि पूर्व प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि को विस्तारित किया जा रहा है, इस परिपेक्ष्य में पूर्व विज्ञापन के बाद प्राप्त नई रिक्तियों को भी विज्ञापन में शामिल किया जाता है।

इच्छुक अभ्यर्थी जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता धारित करते है, उनसे दिनांक–06.12.2017 (नई निर्धारित तिथि) तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। पूर्व में जिन अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र समर्पित किया जा चुका है उन्हें पुनः आवेदन पत्र समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें पूर्व में बिना वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त किये आवेदन पत्र समर्पित किया है और अगर वे विस्तारित तिथि तक वांछित योग्यता धारित करते हों, तो पुनः वैसे अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरकर समर्पित करना अनिवार्य होगा।

रिक्तियों की संशोधित विस्तृत विवरणी, विज्ञापनवार इस प्रकार है:–

विज्ञापन संख्या 02/2017

पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग, योजना एवं विकास विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) की रिक्तियों की अधियाचना प्राप्त हुई है। इन विभागों से प्राप्त रिक्तियों की विस्तृत विवरणी निम्नवत् है:–

विभाग का नाम	पद का नाम	वेतनमान+ग्रेड–पे	आरक्षणवार रिक्तियाँ						कुल रिक्तियाँ
			सामान्य (01)	अनुसूचित जाति (02)	अनुसूचित जनजाति (03)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04)	पिछड़ा वर्ग (05)	पिछड़े वर्ग की महिला (06)	
पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार।	सहायक अभियंता (असैनिक)	9300–34,800 G.Pay-5400	104	35	--	58	33	06	236
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार	सहायक अभियंता (असैनिक)	9300–34,800 G.Pay-5400	32	9	--	14	05	04	64
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	सहायक अभियंता (असैनिक)	9300–34,800 (ग्रेड पे विभाग से अप्राप्त)	44	--	--	10	--	04	58
जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	सहायक अभियंता (असैनिक)	9300–34,800 G.Pay-5400	196	36	01	27	01	23	284
भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार	सहायक अभियंता (असैनिक)	9300–34,800 G.Pay-5400	18	11	--	27	15	04	75
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार	सहायक अभियंता (असैनिक)	9300–34,800 G.Pay-5400	170	05	--	54	05	16	250
योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार	सहायक अभियंता (असैनिक)	9300–34,800 G.Pay-5400	135	43	03	49	32	08	270
		कुल	699	139	04	239	91	65	1237

नियमानुसार महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के नाती/नतीनी/पोता/पोती को 2% क्षैतिज आरक्षण और 40% एवं उससे अधिक निःशक्त अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार देय होगा।

वैसे सुयोग्य उम्मीदवार, जो भारत के नागरिक हैं, से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

शैक्षिक योग्यता

अभ्यर्थी को किसी भारतीय विश्वविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में डिग्रीधारी होना आवश्यक है अथवा किसी भारतीय अभियंत्रण महाविद्यालय से असैनिक अभियंत्रण में असैनिक के लिए डिप्लोमाधारी होना आवश्यक है।

वैसे अभ्यर्थी, जो भारत अभियंत्रण संस्थान, भारत का सह–सदस्य हो, अथवा अभियंताओं के संस्थान/भारत से प्रशाखा "अ" और "आ" में उत्तीर्ण हुए हों अथवा अभियंताओं के संस्थान, भारत द्वारा प्रस्वीकृत संस्थान से प्रशाखा "अ" और "आ" के समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अन्य उपाधि प्राप्त की हो।

अथवा

वैसे अभ्यर्थी, जो युनाईटेट किंगडम के किसी अभियंत्रण महाविद्यालय से विश्वविद्यालय डिग्रीधारी या डिप्लोमाधारी हो अथवा यथा स्थिति सिविल अभियंताओं के संस्थान का सह–सदस्य हो।

टिप्पणी 1 :–

(i) जो व्यक्ति अस्थायी या स्थानापन्न रूप में या परीक्ष्यमान रूप में सरकारी सेवा में हो वह इस नियम के उपबन्धों के अधीन सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा।

(ii) निम्नांकित को छोड़कर जो व्यक्ति सरकारी सेवा में सम्पुष्ट हो, वह इस रूप में नहीं होगाः–

(क) अवर अभियंत्रण सेवा के सदस्य और

(ख) खण्ड 'घ' में विर्निदिष्ट योग्यता रखने वाले अन्य सेवाओं के सदस्य प्रोन्नति द्वारा या स्थानांतरण द्वारा इस नियमावली के भाग–3 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार नियुक्ति के पात्र होंगे।

टिप्पणी 2 :– अखिल भारतीय तकनीकी परिषद, नई दिल्ली से मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा निर्गत उपाधियों, यथा डिग्री एवं डिप्लोमा ही मान्य होंगे।

2. प्रशिक्षित प्रशिक्षु

(i) अन्य बातें समान होने पर, प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को अन्य अभ्यर्थियों पर अधिमानता दी जायेगी तथा यह अधिमानता नियुक्ति की प्रक्रिया में दी जायेगी। प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग भी लेना होगा।

(ii) नियुक्ति के लिए प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को किसी नियोजनालय में निबंधित होना अपेक्षित नहीं होगा।

(iii) प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के रास्ते में यदि आयुवर्जन आयेगा तो उस अवधि तक जिस अवधि तक प्रशिक्षु को प्रशिक्षण दिया गया हो, शिथिलता दी जायेगी।

विज्ञापन संख्या 03/2017 – लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग एवं जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सहायक अभियंता (यांत्रिक) की रिक्तियों की अधियाचना प्राप्त हुई है। इन विभागों से प्राप्त रिक्तियों की विस्तृत विवरणी निम्नवत् हैः–

विभाग का नाम	पद का नाम	वेतनमान+गेड –पे	आरक्षणवार रिक्तियाँ						कुल रिक्तियाँ
			सामान्य (01)	अनुसूचित जाति (02)	अनुसूचित जनजाति (03)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04)	पिछड़ा वर्ग (05)	पिछड़े वर्ग की महिला (06)	
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार	सहायक अभियंता (यांत्रिक)	9300–34,800 G.Pay-5400	03	01	00	01	01	00	06
लघु जल संसाधन विभाग	सहायक अभियंता (यांत्रिक)	9300–34,800 G.Pay-5400	08	07	01	07	03	01	27
जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	सहायक अभियंता (यांत्रिक)	9300–34,800 G.Pay-5400	35	11	01	12	07	3	69
कुल			46	19	02	20	11	04	102

नियमानुसार महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण, बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के नाती/नतीनी/पोता/पोती को 2% क्षैतिज आरक्षण एवं 40% एवं उससे अधिक निःशक्त अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार देय होगा।

वैसे सुयोग्य उम्मीदवार, जो भारत के नागरिक हैं, से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

1. शैक्षिक योग्यता

अभ्यर्थी को किसी भारतीय विश्वविद्यालय से यांत्रिक अभियंत्रण में डिग्री धारी होना आवश्यक हैं, अथवा भारतीय अभियंत्रण महाविद्यालय से यांत्रिक अभियन्त्रण में यांत्रिक के लिए डिप्लोमाधारी होना आवश्यक है।

वैसे अभ्यर्थी, जो अभियंत्रण संस्थान, भारत, संस्थान का सह–सदस्य हो, अथवा अभियंताओं के संस्थान/भारत से प्रशाखा "अ" और "आ" में उत्तीर्ण हुए हों अथवा अभियंताओं के संस्थान, भारत द्वारा प्रस्वीकृत संस्थान से प्रशाखा "अ" और "आ" के समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अन्य उपाधि प्राप्त की हो।

अथवा

वैसे अभ्यर्थी, जो युनाईटेड किंगडम के किसी अभियंत्रण महाविद्यालय से विश्वविद्यालय डिग्रीधारक या डिप्लोमाधारी हो अथवा यांत्रिक अभियन्ताओं के संस्थान का सह–सदस्य हो।

टिप्पणी 1 :–

(i) जो व्यक्ति अस्थायी या स्थानापन्न रूप में या परीक्ष्यमान रूप में सरकारी सेवा में हो वह इस नियम के उपबन्धों के अधीन सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा।

(ii) निम्नांकित को छोड़कर जो व्यक्ति सरकारी सेवा में सम्पुष्ट हों, वह इस रूप में नहीं होगाः–

(क) अवर अभियंत्रण सेवा के सदस्य और

(ख) खण्ड 'घ' में विर्निदिष्ट योग्यता रखने वाले अन्य सेवाओं के सदस्य प्रोन्नति द्वारा या स्थानांतरण द्वारा इस नियमावली के भाग–3 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार नियुक्ति के पात्र होंगे।

टिप्पणी 2 :– अखिल भारतीय तकनीकी परिषद, नई दिल्ली से मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा निर्गत उपाधियों यथा डिग्री एवं डिप्लोमा ही मान्य होंगे।

2. प्रशिक्षित प्रशिक्षुः

(i) अन्य बातें समान होने पर, प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को अन्य अभ्यर्थियों पर अधिमानता दी जायेगी तथा यह अधिमानता नियुक्ति की प्रक्रिया में दी जायेगी। प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग भी लेना होगा।

(ii) नियुक्ति के लिए प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को किसी नियोजनालय में निबंधित होना अपेक्षित नहीं होगा।

(iii) प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के रास्ते में यदि आयुवर्जन आयेगा तो उस अवधि तक जिस अवधि तक प्रशिक्षु को प्रशिक्षण दिया गया हो, शिथिलता दी जायेगी।

विज्ञापन संख्या 04/2017 – पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (असैनिक), के कुल 06 (छः) पदों की रिक्ति की अधियाचना प्राप्त हुई है। प्राप्त रिक्तियों की विस्तृत विवरणी निम्नवत् हैः–

विभाग का नाम	पद का नाम	वेतनमान+ग्रेड–पे	आरक्षणवार रिक्तियाँ						कुल रिक्तियाँ
			सामान्य (01)	अनुसूचित जाति (02)	अनुसूचित जनजाति (03)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04)	पिछड़ा वर्ग (05)	पिछड़े वर्ग की महिला (06)	
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार।	सहायक अभियंता (असैनिक)	9300–34,800 G.Pay-4200	03	01	--	01	01	--	06
कुल			03	01	--	01	01	--	06

नियमानुसार महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण, बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के नाती/नतीनी/पोता/पोती को 2% क्षैतिज आरक्षण एवं 40% एवं उससे अधिक निःशक्त अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार देय होगा।

वैसे सुयोग्य उम्मीदवार, जो भारत के नागरिक हैं, से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

1. शैक्षिक योग्यता

अभ्यर्थी के किसी भारतीय विश्वविद्यालय से सिविल अभियन्त्रण में डिग्री धारी होना आवश्यक हैं अथवा भारतीय अभियंत्रण महाविद्यालय से असैनिक अभियंत्रण में असैनिक के लिए डिप्लोमाधारी होना आवश्यक है।

वैसे अभ्यर्थी, जो अभियंत्रण संस्थान, भारत, संस्थान का सह–सदस्य हो, अथवा अभियंताओं के संस्थान/भारत से प्रशाखा ''अ'' और ''आ'' में उत्तीर्ण हुए हों अथवा अभियंताओं के संस्थान, भारत द्वारा प्रस्वीकृत संस्थान से प्रशाखा ''अ'' और ''आ'' के समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अन्य उपाधि प्राप्त की हो।

अथवा

वैसे अभ्यर्थी, जो युनाईटेड किंगडम के किसी अभियंत्रण महाविद्यालय से विश्वविद्यालय डिग्रीधारक या डिप्लोमाधारी हो अथवा यथा स्थिति सिविल अभियन्ताओं के संस्थान का सह–सदस्य हो।

टिप्पणी 1 :–

(i) जो व्यक्ति अस्थायी या स्थानापन्न रूप में या परीक्ष्यमान रूप में सरकारी सेवा में हो वह इस नियम के उपबन्धों के अधीन सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा।

(ii) निम्नांकित को छोड़कर जो व्यक्ति सरकारी सेवा में सम्पुष्ट हों, वह इस रूप में नहीं होगाः–

(क) अवर अभियंत्रण सेवा के सदस्य और

(ख) खण्ड 'घ' में विर्निदिष्ट योग्यता रखने वाले अन्य सेवाओं के सदस्य प्रोन्नति द्वारा या स्थानांतरण द्वारा इस नियमावली के भाग–3 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार नियुक्ति के पात्र होंगे।

टिप्पणी 2 :– अखिल भारतीय तकनीकी परिषद, नई दिल्ली से मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा निर्गत उपाधियों यथा डिग्री एवं डिप्लोमा ही मान्य होंगे।

2. प्रशिक्षित प्रशिक्षुः

(i) अन्य बातें समान होने पर, प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को अन्य अभ्यर्थियों पर अधिमानता दी जायेगी तथा यह अधिमानता नियुक्ति की प्रक्रिया में दी जायेगी। प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग भी लेना होगा।

(ii) नियुक्ति के लिए प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को किसी नियोजनालय में निबंधित होना अपेक्षित नहीं होगा।

(iii) प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के रास्ते में यदि आयुवर्जन आयेगा तो उस अवधि तक जिस अवधि तक प्रशिक्षु को प्रशिक्षण दिया गया हो, शिथिलता दी जायेगी।

1. **<u>सभी विज्ञापनों के लिए उम्र सीमा</u>** – **<u>वि०सं० 02/2017 एवं वि०सं० 03/2017</u>** <u>के लिए</u> दिनांक 01.08.2017 को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष एवं दिनांक 01.08.2012 को अधिकतम उम्र सीमा निम्नवत होगी :–

अनारक्षित (पुरूष)	–	37 वर्ष
अनारक्षित (महिला)	–	40 वर्ष
पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)	–	40 वर्ष
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) एवं निःशक्त	–	42 वर्ष

<u>वि०सं० 04/2017</u> <u>के लिए</u> दिनांक 01.08.2017 को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष एवं दिनांक 01.10.2011 को अधिकतम उम्र सीमा निम्नवत होगी :–

अनारक्षित (पुरूष)	–	37 वर्ष
अनारक्षित (महिला)	–	40 वर्ष
पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)	–	40 वर्ष
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) एवं निःशक्त	–	42 वर्ष

सभी विज्ञापनों के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16.07.2007 के आलोक में; बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को, जो तीन वर्षो की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चत्तर वेतनमान की सेवा/सम्वर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षो की छूट अनुमान्य है। परन्तु दोनों छूट एक साथ अनुमान्य नहीं होंगे।

कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र, आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को यदि उक्त आयु–वर्जना आयेगी, तब उन्हें, निर्दिष्ट किये गये प्रशिक्षण–अवधि की उक्त आयुसीमा में शिथिलता दी जायेगी।

<u>चयन–प्रक्रिया (सभी विज्ञापनों के लिए)</u>

2. (क) विज्ञापित पदों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। लिखित मुख्य परीक्षा में सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी के पत्रों में उम्मीदवारों को तीस–तीस प्रतिशत (30%) अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 15838 दिनांक 22.12.1990 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 01.10.2008 द्वारा निर्धारित शेष चार पत्रों में, समेकित रूप से सामान्य श्रेणी के लिए चालीस प्रतिशत (40%), पिछड़ा वर्ग के लिए साढ़े छत्तीस प्रतिशत (36.5%), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए चौंतीस प्रतिशत (34%) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं विकलांग उम्मीदवारों के लिए बत्तीस प्रतिशत (32%) अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे अर्हता–प्राप्त उम्मीदवारों को ही आयोग के विनिश्चयानुसार साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

(ख) लिखित मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्तांकों को जोड़ कर मेधा सूची बनायी जायेगी एवं परीक्षाफल घोषित किया जायेगा।

(ग) हिन्दी एवं अंग्रेजी पत्रों में तीस–तीस प्रतिशत प्राप्तांक अर्हतांक होंगे, किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ उनकी गणना नहीं की जायेगी।

3. उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने पर आयोग लिखित मुख्य परीक्षा के पूर्व, प्रारम्भिक परीक्षा का भी आयोजन कर सकता है। इस स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित सूचना अलग से दी जायेगी।

4. मुख्य परीक्षा छः पत्रों की होगी, जिनमें 04 पत्र अनिवार्य और 02 पत्र ऐच्छिक होंगे। प्रथम 03 पत्र यथा सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिन्दी और सामान्य अध्ययन, असैनिक एवं यांत्रिक अभियंत्रण के लिए अनिवार्य होंगे, और वे वस्तुनिष्ठ होंगे। चतुर्थ पत्र यथा, सामान्य अभियंत्रण विज्ञान भी असैनिक एवं यांत्रिक अभियंत्रण के लिए अनिवार्य होंगे जिनका प्रश्न–पत्र 50 प्रतिशत वस्तुनिष्ठ होगा और 50 प्रतिशत विषयनिष्ठ होगा। दो ऐच्छिक पत्र, जिनका 50 प्रतिशत वस्तुनिष्ठ और 50 प्रतिशत विषयनिष्ठ होगा जो सिविल एवं यांत्रिक अभियंत्रण के लिए अलग–अलग होगा। लिखित परीक्षा के प्रत्येक पत्र के लिए विषय/पत्र/समय और कुल अंक निम्नवत् होंगेः–

अनिवार्य पत्र

क्रम सं०	विषय	वस्तुनिष्ट/ विषयनिष्ट	अवधि	कुल अंक	अर्हतांक
1.	सामान्य अंग्रेजी	वस्तुनिष्ठ	तीन घंटे	100	30
2.	सामान्य हिन्दी	वस्तुनिष्ठ	तीन घंटे	100	30
3.	सामान्य अध्ययन	वस्तुनिष्ठ	तीन घंटे	100	

215

4.	सामान्य अभियंत्रण विज्ञान				
	भाग – I	वस्तुनिष्ठ	एक घंटा	100	
	भाग – II	विषयनिष्ठ	दो घंटे	100	

असैनिक अभियंत्रण

क्रम सं.	विषय	परीक्षा	अवधि	कुल अंक	
5.	शाखा – I	वस्तुनिष्ठ	एक घंटा	100	200 अंक
	शाखा – II	विषयनिष्ठ	दो घंटे	100	
6.	सिविल अभियंत्रण				
	शाखा – I	वस्तुनिष्ठ	एक घंटा	100	
	शाखा – II	विषयनिष्ठ	दो घंटे	100	200 अंक

यांत्रिक अभियंत्रण

5.	शाखा – I	वस्तुनिष्ठ	एक घंटा	100	200 अंक
	शाखा – II	विषयनिष्ठ	दो घंटे	100	
6.	यांत्रिक अभियंत्रण				
	शाखा – I	वस्तुनिष्ठ	एक घंटा	100	
	शाखा – II	विषयनिष्ठ	दो घंटे	100	200 अंक
				900	
साक्षात्कार के लिए 100 कुल (एक सौ) अंक होंगे।				100	
			कुल	1000	

परीक्षा–प्रक्रिया (सभी विज्ञापनों के लिए)

(क) यांत्रिक एवं असैनिक अभियंत्रण के पंचम एवं षष्टम पत्रों में प्रत्येक में विषयनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ, अलग–अलग, प्रश्न पत्र होंगे और प्रत्येक प्रश्न–पत्र कुल 100 अंकों का होगा।

(ख) यांत्रिक एवं असैनिक अभियंत्रण के अधीन वस्तुनिष्ठ पत्रों की जांच के लिए किसी परीक्षार्थी से सविस्तार उत्तर लिखने की अपेक्षा नहीं की जाती है। प्रत्येक प्रश्न के लिए अनेक सुझाये गये वैकल्पिक उत्तर दिये जायेंगे; और परीक्षार्थी से अपेक्षा की जायेगी कि एक सही उत्तर चुन लें।

(ग) वस्तुनिष्ठ प्रश्न पुस्तिका में प्रति प्रश्न उत्तर बहुविकल्पीय होंगे। उम्मीदवारों को ओ॰एम॰आर॰ उत्तर पत्रक में सही एक उत्तर विकल्प के कोष्ठक को नीले या काले बाल प्वायन्ट पेन से भर देना (शेड करना) होगा। यदि कोई परीक्षार्थी किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर चुन ले (भर दें) तो उसके उत्तर पर विचार नहीं किया जायेगा। ओ॰एम॰आर॰ आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षा के बदले कम्प्यूटर आधारित परीक्षा संपन्न कराने के लिए आयोग स्वतंत्र रहेगा।

5. स्तर एवं पाठ्यक्रम

निम्नांकित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पत्रों का स्तर ऐसा होगा, जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय के अभियंत्रण स्नातक के लिए समीचीन हो।

अनिवार्य पत्र	पाठ्यक्रमः सामान्य
प्रथम पत्र – सामान्य अंग्रेजी	सामान्य हिन्दी और सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न पत्र इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा सम्बन्धी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके।
द्वितीय पत्र – सामान्य हिन्दी	
तृतीय पत्र – सामान्य अध्ययन	सामान्य अध्ययन के पत्र में समसामयिक घटनाओं तथा दैनिक प्रेक्षण (observation) से सम्बन्धित विषयों एवं अनुभवों और उनके वैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी सम्मिलित होगी। इस पत्र में वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रश्न होंगे तथा उसमें ऐसे शोध एवं अभिनव परिवर्तनों, जो अभियंत्रण के विभिन्न विषयों में प्रौद्योगिक विषय के लिए महत्वपूर्ण हों, सहित अभियंत्रण विज्ञान के विकास पर जोर दिया जायेगा।
चतुर्थ पत्र – सामान्य अभियंत्रण विज्ञान	यह 200 अंकों का एक पत्र होगा। सामान्य अभियंत्रण विज्ञान के पत्र में अभियंत्रण यांत्रिकी की जानकारी समाहित होगी।

प्रणाली विज्ञान (मेथोडोलॉजी), सामान्य अभियंत्रण विज्ञान – ठोस पदार्थो की यांत्रिकी (Mechanics of Solids) अभियंत्रण वस्तुएँ एवं निर्माण प्रणाली (Methodology of Construction) अभियंत्रण, अर्थ व्यवस्था एवं प्रबंधन, परिवहन संवृत्ति (Transport Phenomena), ऊर्जा संपरिक (Energy Conversion), पर्यावरण अभियंत्रण (Environment Engineering), सर्वेक्षण (Survey), विद्युत कर्मशाला, यांत्रिक कर्मशाला मापन यंत्र, प्रारम्भिक अभियंत्रण, जो अभियंत्रण के विभिन्न विषयों के लिए सामान्य हो।

विस्तृत – पाठ्यक्रम

चतुर्थ पत्र : सामान्य अभियंत्रण विज्ञानः

1. इंजीनियरिंग यंत्र विज्ञान (मेकेनिक्स), सामान्य संतुलन – समीकरण प्रयोग, गति समीकरण, कार्य, शक्ति, ऊर्जा।
2. सर्वेक्षण एवं माप – दूरी एवं क्षेत्र माप, दिशा की माप और स्लोप की कोणीय माप, उत्तोलन एवं ऊँचाई, सामान्य सर्वेक्षण उपकरण, विद्युत कर्मशाला माप यथा आमीटर, वोल्ट मीटर, चार्ज मीटर, इन्सुलेशन टेस्टर, इनर्जी मीटर और उनके कार्यचालन सिद्धांत, यांत्रिक कर्मशाला माप उपकरण, रेखीय और कोणीय माप, सीधी समतल और गोलाई माप।
   ठोस पदार्थों की रचनाः– सामान्यीकृत दबाब और इससे संबद्ध नियम बनाना, दबाब का रूपान्तारण, दाब, ऊर्जा, बीम, कॉलम और शैफ्ट का विश्लेषण, केन्द्र पर असंतुलित झुकाव, क्षय का सिद्धान्त।
3. इन्जीनियरिंग सामग्री और उनका निर्माण – ईंट, चूना, सीमेन्ट, छर्री, ढ़लवा, लोहा और इस्पात, लौह रहित धातु, टिम्बर, पेन्टस और इन्जीनियरिंग की विविध सामग्री, इन्जीनियरिंग सामग्री का परीक्षण, ईंट के फर्श और दीवाल के निर्माण पर विचार।
4. इन्जीनियरिंग मितव्ययिता और प्रबंध इन्जीनियरिंग – मितव्ययिता के सिद्धान्त, परियोजना प्लानिंग, सी॰पी॰एम॰ और पी॰इ॰आर॰टी॰ तकनीक, निर्माण साज– सज्जा और सुरक्षा के महत्वपूर्ण निर्माण मद की दर का विश्लेषण।
5. परिवहन फेनोमेनन – परिवहन का रेखीय और अनियमित चालन, बाउन्डरी लेयर, अनवरत समीकरण, बरनौली का सिद्धान्त, ऊर्जा समीकरण, परिवहन चालन की माप, बिमीय विश्लेषण और माडलिंग, एक विमीय अध्ययन, वेल और सिलिन्डर सहित एकल और बहुपरतीय पदार्थों से होकर ताप का गमन, प्राकृतिक और प्रेरित संवहनीय ताप अन्तरण, थर्मल बाउन्ड्री लेयर की अवधारणा, स्टीफेन बोल्वमेन के विकिरण का सिद्धान्त, किरचौफ का नियम, काले और भूरे पदार्थो की अवधारणा।
6. ऊर्जा रूपान्तरण – ऊष्मागति प्रक्रिया, ऊष्मा गतिकी के प्रथम और द्वितीय सिद्धान्त, कारनेट साइकिल, रैकिंग साइकिल, ओटो साइकिल, डीजल साइकिल, आवेग और प्रतिक्रिया, वाटर टरबाईन – पेल्टन व्हील, टरबाईन, प्रत्यागामी एवं अभिकेन्द्री पम्प।
7. प्रारम्भिक इंजीनियरिंग – विद्युत परिपथ, परिपथ नियम और सुपर पोजिशन के सिद्धान्त, थेवनीन का सिद्धान्त, अवधि कार्यचालन का परिचय, स्टीडी ए॰सी॰ परिपथ में प्रेरण के साथ श्रेणीबद्ध और समानान्तर कनेक्शन, प्रतिरोध और कैपेसिटेन्स, जंक्शन ट्रांजिस्टर, जंक्शन डायोड, समतुल्य परिपथ, कामन इमीटर समतुल्य परिपथ, विद्युत धारा का चुम्बकीय प्रभाव, चुम्बकीय परिपथ, आदर्श ट्रांसफार्मर, परिपथ तत्व के रूप में ट्रांसफार्मर, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का रूपान्तरण, डी॰सी॰ मोटर और जेनरेटर का कार्य, ए॰सी॰ मोटर और जेनरेटर का कार्य।
8. पर्यावरण इंजीनियरिंग – जल प्रदूषण और शुद्धिकरण, अपजल अभिक्रिया, वायु प्रदूषण और उसका नियंत्रण, पारिस्थिति का संतुलन।

पंचम पत्र – सिविल (असैनिक) अभियंत्रण

1. संरचना विश्लेषण (Structural Analysis)
   संरचनाः– निर्धारण एवं स्थायित्व, आन्तरिक एवं वाह्य बल विशेष स्थैतिक निर्धारकों और अस्थैतिक धरण संरचना, कैंची, फ्रेम और मेहराब, संरचना सिद्धान्त संदृढक और लचीलापन विधि, मैट्रिक्स विधि, स्तम्भों की प्रत्यास्थता, स्थायित्व निर्धारी एवं अनिर्धारी संरचनाओं हेतु प्रभाव रेखाओं का विश्लेषण तथा धरण और सिल्ली का सुघट्य विश्लेषण।
2. संरचना रूपांकन (Structural Design)
   (क) आर॰सी॰सी॰ – धरण, सिल्ली, स्तम्भ, अपरूपण और विकर्ण तनाव, कंक्रीट तकनीक – चरम भार और सीमान्त भार डिजाईन, भवन ढांचा रूपांकन में लम्बवत् और सिस्मिक बल का अध्ययन (ख) स्टील संरचना – तनाव, सम्पीडन और आनमनन (फ्लेक्चरल) अवयव, छत कैचीप्लेट गरडर, ब्रेकेट कनेक्शन (ग) पूर्व–प्रतिवलित कंक्रीट संरचना व इसके अवयव।
3. मृदायांत्रिकी एवं नींव इन्जीनियरिंग – भूगर्भीय बल और उसका निर्धारण, चट्टानों की बनावट एवं वर्गीकरण, मिट्टी की प्रकृति एवं बनावट, गुण और व्यवहार, रिसन और संघनन, कम्पैक्सन, अपरूपण बल, ढ़ालों का स्थायित्व, मृदा प्रतिबल, वहन क्षमता, फुटिंग्स, पृथ्वी का दबाव, प्रतिधारक, दीवार, सीट पाइल्स।
   पाइल सहित उथली और गहरी नींव – रैफ्ट और कूप नींव, मशीन नींव, प्रसार मिट्टी, मिट्टी का दृढ़ीकरण।

षष्टम पत्रः– सिविल(असैनिक) अभियंत्रण जल विज्ञान एवं जल श्रोतों का खुला प्रणाल प्रवाह (Hydrology and Water Resources Open Channel Flow) हाइड्रोलिक संरचना का रूपांकन, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का डिजाइन, परिवहन अभियंत्रणा (Transport Engineering), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (Public Health Engineering)।

1. जल विज्ञान और जल संसाधन
   सामान्य द्रवीय प्रणाली, अपवाह (रन ऑफ) आकलन, जल आलेख (हाइड्रोग्राम) का प्रयोग, प्रयोगाश्रित सूत्र, संभावित जलीय विश्लेषण, सतही जल और भूमिगत जल का प्रबन्धन, सिंचाई इंजीनियरिंग का सिद्धान्त, फसलों के लिए जल की आवश्यकता – सामान्य।
   सिंचाई कार्यो का वर्णन, बाढ़ का कारण, क्षति और नियंत्रण, नदी का व्यवहार, जल निकास, सतही और भूमिगत जल निकास, चैनेल का रूपांकन, जल शक्ति इन्जीनियरिंग का सामान्य सिद्धान्त।
2. खुला प्रणाल बहाव – वर्णनन, ऊर्जा एवं संवेग का सिद्धान्त, समरूप, अनुक्रमिक एवं द्रुतगामी परिवर्तन बहाव, नदीय प्रवाह के अवयव, तलछट परिवहन।
3. द्रव्य–संरचना का रूपांकणः– बांध का रूपांकण, वीयर, बराज नहर और नहर संरचना, फाल्स, क्रास जल निकास कार्य, क्रास रेगुलेटर, हेड रेगुलेटर्स और नहर–निकासी, तटबंध का रूपांकण और जल विद्युत शक्ति संयत्र।
4. परिवहन इंजीनियरिंग – उच्च पथों का ज्यामीतिय रूपांकण, यातायात इंजीनियरिंग के अवयव, उच्च पथीय सामग्री, उच्च पथों का अनुरक्षण।
   सेतु इन्जी॰ के अवयव, आइ॰आर॰सी॰ वर्गीकरण, भार और ऊपरी संरचना रूपांकन में इसका व्यवहार।

218

5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रणः–
  1. जलापूर्ति – जनसंख्या पूर्वानुमान, जलापूर्ति हेतु उपयोग में लाये जाने वाले पाइपों के प्रकार, ट्यूब वेल और डगवेल की बनावट, स्लो सैण्ड फिल्टर तथा रैपिड ग्रैविटी फिल्टर का रूपांकन, भूमिगत और ऊपरी टंकी का रूपांकन, जलापूर्ति संयंत्र निर्माण के ब्यौरे।
  2. जल निकास एवं स्वच्छता – सतही जल निकास, झंझवात, जल निकास और मल–जल प्रवाह, ट्रिक्लिंग फिल्टर का रूपांकन, सेप्टिक टैंक का रूपांकन, ईम्हॉफ टैंक का रूपांकन, स्वच्छ संयत्रों के ब्यौरे।

यांत्रिक अभियंत्रण पंचम पत्र

ऊष्मा गतिकी (Thermodynamics), आई.सी. इंजन, भाप बॉयलर तथा सभी प्रकार भापचालित उपकरण, गैस टरबाईन, कम्प्रेसर, पुनर्तापन एवं पुनर्उत्पादन, ऊष्मा अन्तरण, प्रशीतन एवं वातानुकूलन, तरल पदार्थो के गुण एवं वर्गीकरण आदि।

1. ऊष्मा गतिकी (Thermodynamics)
   नियम, आदर्श गैसों और वाष्पों के गुणधर्म, शक्ति चक्र, गैस शक्ति चक्र, गैस टरबाईन चक्र, ईंधन और दहन।
2. अंतर्दहन इंजन (I.C. Engines)
   सी.आई. और एस.आई. इंजिन डिटेनेशन, ईंधन इन्जेक्शन और कारबुरेशन, निष्पादन और जाँच, टरबो जेट और टरबो–प्रॉप इन्जिन, रॉकेट इन्जिन, नाभिकीय शक्ति संयत्रों का प्रारंभिक अध्ययन और नाभिकीय ईंधन।
3. स्टीम बॉयलर, इन्जिन नौजेल और स्टीम टरबाइन, नोडर्न बॉयलर, स्टीम टरबाइन के प्रकार, नौजेल के द्वारा भाप का बहाव, आवेग और प्रतिक्रिया टरबाइन का गति आलेख कार्यक्षमता और नियंत्रण।
4. सम्पीडक गैस, गति विज्ञान और गैस टरबाइन, प्रत्यागामी, अभिकेन्द्री और अक्षीय बहाव सम्पीडक, गति आलेख, मैक नम्बर का बहाव पर कार्यक्षमता और निष्पादन प्रभाव, आईसेनट्रापिक बहाव, लम्बवत् झटका और नौजेल से बहाव, बहु चरणोभ संपीडन (पुनर्तापन एवं पुनयत्यादन के साथ गैस टरबाइन चक्र।
5. ऊष्मा स्थानान्तरण, प्रशीतन और वातानुकूलन, चालन, संवहन और विकिरण ऊष्मा विनियियत्र, प्रकार, कुल ऊष्मा अन्तरण गुणांक पर संयुक्त ऊष्मा–अन्तरण, प्रशीतन और हैण्ड पम्प ओवेलिज, प्रशीतन पद्धति, निष्पादन गुणांक का पेयक्रोमेट्रिक और पेयक्रोमैट्रिक चार्ट पर अध्ययन, कॉमफोर्ट इनडियस, शीतन और डिह्युमिडिफिकेशन विधि।
   औद्योगिक वातानुकूलन विधियां, शीतलन और तापीय भार आकलन।
6. द्रवों के गुण एवं वर्गीकरण – द्रव स्वैतिकी गतिकी और शुद्ध गति की सिद्धान्त और उपयोग, वायुदाब भाप एवं उत्फलावन, आदर्श द्रव का प्रवाह, स्तरीय और विप्लव प्रवाह, सीमा स्तर सिद्धान्त, डुबे हुए वस्तु के ऊपर प्रवाह, पाइप तथा खुला चैनल से प्रवाह, विभीय संरचना और सादृश्य तकनीक।
   अविभीय विशिष्ट वेग और सामान्य द्रवें यांत्रिकी का वर्गीकरण, ऊर्जा स्थानान्तरण संबंध, पम्प और आवेग एवं प्रतिक्रिया जल टरबाइन का कार्य निष्पादन एवं जलीय शक्ति संचरण।

षष्टम पत्र यांत्रिक अभियंत्रण — मशीन के सिद्धान्त, मशीन की डिजाइन, सामग्री–क्षमता, इंजीनियरिंग सामग्री,, उत्पादन इंजीनियरिंग, औद्योगिक इंजीनियरिंग आदि।

7. यांत्रिकी के सिद्धान्त – वेग और त्वरण (1) गतिशील वस्तु का (2) मेकनिकल क्लेन बनावट, मशीन में जड़त्व बल। कैम्स, गियर और गियरिंग। फ्लाई व्हील और गवरनर। छूते हुए तथा प्रत्यागामी पिण्डों का संतुलन। पद्धतियों का स्वतंत्र और प्रणोदित कंपन, क्रान्तिक चाल और साफ्ट का घुमाव।
8. मशीन रूपांकन – जोड़ – थ्रेडल फास्टेनर और शक्ति पेंच–चाबी,, कोटर, युगमन–वेल्डेड ज्वाइंटस् – ट्रान्समिशन सिस्टम, वेल्ट और चेन ड्राइसेज–वायर रोप्स, साफ्ट।
   गियर – साइडिंग और रौलिंग बीयरिंग।
9. द्रव्य सामर्थ्य – द्विविभीय प्रतिबल और बिकृति, मोर का वृत्त, प्रत्यास्थता स्थिरांकों के बीच संबंध।
   धरण – बंकन आधूर्ण, अपरूपण बल और विक्षेप।
   साफ्ट; संयुक्त बंकन, प्रत्यक्ष और मरोड़ी (टॉर्स्नल) प्रतिबल, मोटी दिवाल वाला बेलन और गोलों का दाब विश्लेषण, स्प्रींग और स्तंभ (कॉलम), क्षय के सिद्धान्त।
10. इंजीनियरिंग सामग्री – मिश्रधातु और मिश्रधातु की सामग्री, उष्मा संस्करण, संघटन, गुण और उपयोग, सुघट्य और दूसरी अन्य इंजीनियरिंग सामग्री।
11. उत्पादन इंजीनियरिंग – धातु मशीनिंग, कर्तन औजार, कर्तन सामग्री, मीटर और मैकेनेविलिटी मेजरमेंट ऑफ कटिंग फोर्सेस, प्रक्रिया, मशीनिंग–ग्राइन्डिग, डोरिंग, ग्रिड उत्पादन (निर्माण), धातु निर्माण, धातु ढलाई और जोड़, डासिस, विशेष उद्देश्य, प्रोग्राम और अंक–नियंत्रित मशीनी औजार, जिप्स और जुड़ी हुई वस्तु।
12. औद्योगिक इन्जीनियरिंग – कार्य अध्ययन और कार्य माप, मजदूरी प्रेरक, उत्पादन पद्धति व उत्पादन लागत, प्लांट के सिद्धान्त, उत्पादन योजना और नियंत्रण, सामग्री, उपयोग संचालन शोध, लिनियर प्रोग्रामिंग क्वेनिंग, सिद्धान्त मूल्य इंजीनियरिंग तंत्र–विश्लेषण, सी.पी.एम. और पी.ई.आर.टी., कम्प्यूटर का उपयोग।

6. (क) आरक्षण (सभी विज्ञापनों के लिए)

(i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। आवेदन पत्र में भरे गये स्थायी पता पर ही आरक्षण देय होगा।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं. 673, दिनांक 08.03.2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। **आरक्षण हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साक्षात्कार की तिथि अंतिम तिथि होगी; उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण पत्र अमान्य होगा, और संबंधित उम्मीदवार पूर्ण शूल्क जमा किये रहेंगे तो उन्हें सामान्य (अनारक्षित) कोटि में अंकित किये जायेंगे।**

6. (ख) विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, स्वतन्त्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती एवं सरकारी कर्मी से संबंधित लाभ हेतु दावा मूल आवेदन पत्र में करना अनिवार्य होगा साथ ही सक्षम प्राधिकार के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।

7. आवेदक निम्नांकित प्रमाण–पत्रों की स्व हस्ताक्षरित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे एवं मूल प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

1. जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उर्त्तीणता प्रमाण–पत्र
2. बी॰टेक॰/बी॰ई॰ से संबंधित प्रमाण–पत्र
3. चार वर्षीय डिप्लोमा से संबंधित प्रमाण–पत्र
4. अन्य कोई उच्च स्तरीय डिग्री (यदि कोई हो) प्रमाण–पत्र
5. विशिष्ट कोई योग्यता (यदि कोई हो) से संबंधित प्रमाण–पत्र
6. प्रशिक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, यदि कोई हो।
7. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी के लिए क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण–पत्र
8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए स्थायी निवास प्रमाण–पत्र
9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण–पत्र
10. निःशक्तता से संबंधित प्रमाण–पत्र
11. पहचान पत्र फोटो सहित।
12. **जिन अभ्यर्थियों के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी होने का दावा/आरक्षण का दावा किया जा रहा है उन्हें अपने–अपने जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्र एवं अभ्यर्थी विशेष के नाम से निर्गत परिचय पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।**

(ii) उपर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अभ्यर्थी आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। **आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।**

आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(iii) उम्मीदवार, चालान में अंकित नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।

(iv) आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।

(v) **सहायक अभियंता के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र में लगाया गया है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।**

आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश/आवेदन प्रपत्र

8. प्रविष्टिः

(i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए–4 आकार (210×297 मिमी॰) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट http://bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन प्रपत्र चार पृष्ठों में ही कागज के दोनों पार होना चाहिए। **निर्धारित प्रपत्र से अलग मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

(ii) **आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ–साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो; उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।**

(iii) आवेदन–पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें, जैसे –

1. **आवेदन की कंडिका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; स्निग्धा, इस प्रकार भरा जाय–**

स्	न	ग	धा		

2. **हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें।**
3. **आवेदन की कंडिका 2(iii) में यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 भरें एवं नहीं हैं तो 2 भरें।**
4. **आवेदन की कंडिका 2(iv) में, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनुसूचित जाति के लिये 02, अनुसूचित जनजाति के लिये 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 04, पिछड़ा वर्ग के लिये 05 भरें।**

उसी प्रकार सभी आयतों को भरें। **अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।**

(iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (x) कर दें।

(v) **क्रमांक 8(i) ''शैक्षिक योग्यता'' के अधीन $\frac{\text{'प्राप्तांक'}}{\text{'पूर्णांक'}}$ एवं प्रतिशत के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को नहीं जोड़ें।**

215

(vi) स्तम्भ (कॉलम) 11 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।

(vii) स्तम्भ (कॉलम) 12 में यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा, उसे क्रॉस (x) कर दें।

9. **फोटोग्राफः**

आवेदन–पत्र के पृ॰ 1 एवं 3 पर फोटो चिपकाने हेतु छोड़े गए खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। **फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ।** दोनों फोटो एक ही निगेटिव का होना चाहिए। भविष्य में संबंधित परीक्षा के उपयोग हेतु निगेटिव सुरक्षित रखें। फोटो हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन–अस्वीकृति का कारण हो सकता है। **फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।**

10. शुल्कः (सभी विज्ञापनों के लिए)

बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 200/– (दो सौ) रूपये + बैंक चार्ज (18% GST सहित) 59/– (उनसठ) रूपये; कुल 259/– (दो सौ उनसठ) रूपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के उम्मीदवारों सहित अन्य सभी राज्यों के सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए 750/– (सात सौ पचास) रूपये + बैंक चार्ज (18% GST सहित) 59/– (उनसठ) रूपये; कुल 809/– (आठ सौ नौ) रूपये चालान के माध्यम से आयोग के खाता संख्या 31650243410 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा जिसमें GST नियमानुसार अलग से देय होगा। उम्मीदवार चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखेंगे। **अभ्यर्थी अपने पास चालान की प्रति सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को उक्त चालान की प्रति प्रस्तुत करना होगा। विज्ञापनवार अलग–अलग चालान का प्रपत्र आयोग के वेबसाइट http://bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।**

वैसे सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो निःशक्तता/अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते है और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा निःशक्तता से संबंधित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। निःशक्त अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे यदि स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते है तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

11. **आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि :–** उक्त विज्ञापन में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 06.12.2017 निर्धारित की गई है। उक्त तिथि के संध्या 5.00 बजे तक आयोग में आवेदन पत्र प्राप्त होना आवश्यक है। विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे।

अन्यः **अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। अलग–अलग विज्ञापनों के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार परीक्षा शुल्क जमा करना होगा।**

नोटः– **(i) अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित, आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं होगा और इसकी पूर्ण रूप से जबावदेही अभ्यर्थी की होगी।**

(ii) विज्ञापन से संबंधित अन्य सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर समय–समय पर उपलब्ध रहेगा। इस संबंध में अलग से समाचार पत्रों में सूचनाएँ नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in को समय–समय पर देखते रहें।

9/11/2017

विशेष सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना